न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 53/2015

1 करण कंवर उर्फ किरण कंवर पत्नी जीवण सिंह।
2 महेश सिंह पुत्र प्रभुसिंह।
3 गोकुल सिंह पुत्र मगन सिंह।
4 बहादुर सिंह पुत्र मगन सिंह।
5 सुमेर सिंह पुत्र मगन सिंह।
6 लिछमण सिंह पुत्र श्योराम सिंह।
7 कृष्ण सिंह पुत्र श्योराम सिंह।
8 भगवान सिंह पुत्र सुगन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सन्तू सिंह पुत्र नारायण सिंह (मृतक)।
1/1 अनोप कंवर पत्नी सन्तू सिंह।
1/2 नरसी सिंह पुत्र सन्तू सिंह।
1/3 बलबीर सिंह पुत्र सन्तू सिंह।
1/4 रणवीर सिंह पुत्र सन्तू सिंह।
2 सदा कंवर पत्नी कल्याण सिंह।
3 महेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह।
4 करण सिंह पुत्र कल्याण सिंह।
5 नन्द सिंह पुत्र कल्याण सिंह।
6 रणजीत सिंह पुत्र कल्याण सिंह।
7 दुर्गा कंवर पत्नी भागीरथ सिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 भवानी सिंह पुत्र भागीरथ सिंह।
9 राजेन्द्र सिंह पुत्र भागीरथ सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
10 सुरज्ञानी पुत्री मदनसिंह पत्नी विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी कणवाई तहसील डीडवाना जिला नागौर।
11 बजरंग सिंह पुत्र रामूसिंह।
12 सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामूसिंह (समुन्द्र सिंह)।
13 अमरसिंह पुत्र रामूसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
14 बजरंग सिंह धायल जाति जाट निवासी हाल पटवार हल्का गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
15 उप पंजियक अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर।
16 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
17 गोकुलचन्द पुत्र भगताराम।
18 झिमली देवी पत्नी गोकुलचन्द यादव समस्त जाति यादव निवासीगण जस्सी का बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1966 विरूद्व निर्णय दिनांक 10.04.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम करण कंवर आदि बनाम सन्तू सिंह आदि मुकदमा नम्बर 68/2012 पीठासीन अधिकारी सतवीर यादव
आर.ए.एस.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 68/2012 में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट्स/प्रार्थीगण ने एक वाद मय आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 68/2012 बउनवानी करण कंवर आदि बनाम सन्तू सिंह आदि विचारण न्यायालय में इन कथनों के साथ पेश किया कि आवेदन पत्र की मद संख्या 1 में वर्णनानुसार पक्षकारान का सजरा खानदान है। ग्राम गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 377 रकबा 2.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 380 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 381 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 382 रकबा 0.52 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 5.00 हैक्टेयर की खातेदारी तख्तसिंह वल्द धोकल सिंह, किशनसिंह, गणपत सिंह पिता बख्तावर सिंह, सुगन सिंह वल्द अर्जुन सिंह के नाम दर्ज है तथा भूमि खसरा नम्बर 845/1 रकबा 7.24 हैक्टेयर के हिस्सा 1/4 की खातेदारी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 के पूर्वजों के नाम से दर्जरही है, जिनका देहान्त हो जाने पर विरासत के आधार पर वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि को करीब 45 वर्ष पूर्व प्रभु सिंह, मगन सिंह एवं श्योराम सिंह तथा नारायण सिंह, रामूसिंह, भंवरसिंह ने काश्त की सुविधा के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अनुसार आपसी सहमति से विभाजन कर लिया एवं अपने अपने हिस्सा पर काबिज हो गये जिसके अनुसार उक्त वर्णित भूमि नारायण सिंह, रामूसिंह, भंवरसिंह के नाम भूमि प्रभुसिंह, मगनसिंह एवं श्योराम सिंह के हिस्से में आई। नारायण सिंह, रामूसिंह, भंवरसिंह के हिस्से में अन्य भूमियां आई जिसके पश्चात से प्रार्थी संख्या 1 ता 7 के पूर्वज भूमि वर्णित मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र में 1/2 हिस्से में से 2/3 हिस्से को काश्त करने लग गये। प्रार्थी संख्या 1 ता 7 के पूर्वजों को देहान्त होने के पश्चात विरासत के आधार पर प्रार्थी संख्या 1 ता 7 अपने पूर्वजों से मिली भूमि को काश्त करने लग गये। प्रार्थी संख्या 1 ता 7 अपने हिस्से को अलग से सीमांकन कर लिया एवं खाई डोली मौके पर लगाकर फसल की सुरक्षा करते आये है तथा प्रार्थीगण ने गेहूं व चने की फसल काश्त कर रखी है। उक्त भूमियां में मद नम्बर 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी संख्या 1 ता 2 का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी नम्बर 3 ता 8 का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा व मद संख्या 2 में वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 व 2,1/3 हिस्सा प्रार्थी संख्या 3 ता 5 एवं 1/3 हिस्सा प्रार्थी संख्या 6 ता 7 का है तथा इसी अनुसार काबिज है। उक्त विभाजन कर लिये जाने के पश्चात उक्त भूमि का उपरोक्तानुसार काश्त करते चले आ रहे है एवं प्रार्थीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु आपसी भाईचारा एवं विश्वास के कारण खातेदारी में परिवर्तन उस समय नहीं किये जाने के कारण वर्तमान में खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 एवं अन्य प्रतिवादी मुताबिक वादीगण के एवं अप्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही है। उक्त गलत अंकन का अनुचित लाभ उठाने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 एवं अन्य प्रतिवादीगण प्रार्थीगण की उक्त हिस्से की भूमियों के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की नियत से दिनांक 20.02.2012 को प्रार्थीगण की उक्त भूमियों पर आकर प्रार्थीगण के साथ झगड़ा फिसाद करना शुरू कर दिया एवं धमकी दी कि खातेदारी अंकन के आधार पर उक्त भूमियों को अपरिचित व्यक्तियों को विकय कर प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर दिया जायेगा जबकि उक्त विभाजन के पश्चात उक्त भूमियों से अप्रार्थीगण का कोई सम्बंध, सरोकार नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रहा है तथा प्रार्थीगण साधिकार रूप से एक मात्र काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं इनको अपने नाम दर्ज करा लेने का अधिकार तथा प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अगर अप्रार्थीगण ने दीगर लोगों को विक्रय कर दिया तो वे प्रार्थीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देगें। जिससे आजीविका का साधन ही समाप्त हो जायेगा एंव प्रार्थीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है अत आवेदन स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें। इसके पश्चात अप्रार्थीगण ने आवेदन के कथनों का खण्डन करते हुए जवाब आवेदन प्रस्तुत किया। जिसके पश्चात विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण का आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 10.04.2015 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने वाद घोषणा, विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 को खेत खसरा नम्बर 845/1 कुल रकबा 7.24 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के सह खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित माना है तथा खसरा नम्बर 377 से 382 में प्रार्थीगण द्वारा खातेदारी दर्ज करवाना चाहने की बात मानी है तथा विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य अधिकारो की घोषणा दावे में तय होने का निष्कर्ष निकाला है जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि प्रार्थीगण का मामला प्रथम दृष्टया सबल है तथा वाद में पक्षकारों के मध्य अधिकारों का निर्णय किया जाना है। तादौराने दावा अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाने से अप्रार्थीगण विवादित भूमियों को खुर्द बुर्द कर देगें तथा मौका स्थिति में परिवर्तन कर देगें तथा प्रार्थीगण को बेदखल कर देगें तो इसमें अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी। पक्षकारान एक ही पूर्वज के वंशज है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

तथा वाद घोषणा एवं विभाजन का है। परिवार के सदस्यों के मध्य सोहार्द्र बनाये रखने हेतु विभाजन के दावे में तादौराने दावा विवादग्रस्त भूमियों को संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाना न्यायहित में आवश्यक होता है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने का कोई कानून नहीं है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। प्रार्थीगण ने वाद में राजस्व रिकार्ड को चुनौती दी है तथा केता सद्भावी केता नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण केतागण की असुविधा मानकर तथा प्रार्थीगण को कोई असुविधा न मानकर सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न मानने में भारी भूल की है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.04.2015 निरस्त फरमाया जावें तथा प्रार्थीगण का आवेदन मुकदमा नम्बर 68/2012 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को तादौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 ता 13 खसरा नम्बर 845/1 रकबा 7.24 हैक्टेयर अवस्थित ग्राम गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना के सहखातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 377 से 382 किता 6 कुल रकबा 5.01 हैक्टेयर में प्रार्थीगण खातेदारी दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण का तर्क है कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से से अधिक का बेचान किया गया है। पक्षकारों के बीच अधिकारों की घोषणा तो दावे में ही हो सकेगा। प्रथमतः अस्थाई निषेधाज्ञा में वाद दायरी के दिन आराजी पर कब्जा काश्त देखना होता है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज है तथा रिकार्डेड खातेदार है, जो प्रार्थीगण भी स्वीकार करते है। विक्रय पत्र दिनांक 23.12.2011, 28.12.2011,28.02.2012 एवं 27.02.2012 की फोटो प्रति के अवलोकन से यह सिद्व होता है कि केतागण वाद दायरी से पूर्व से ही विवादित आराजी पर काविज काश्त चले आ रहे है। वर्तमान स्थिति में राजस्व रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। भूमि के खरीददार ने रिकार्डेड खातेदारों से भूमि खरीदी है जो बोनाफाइड पर्चेजर है। सद्भावी केता व रिकार्डेड खातेदार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। एक खातेदार अपनी खातेदारी भूमि का उपभोग उपयोग स्वतंत्र रूप से करने का अधिकारी है। दावा दायरी से पूर्व खातेदारान द्वारा भूमि का विकय कर केता को कब्जा संभलाया है। प्रार्थीगण यह बताने में पूर्ण रूप से असफल रहें कि अप्रार्थीगण किस प्रकार से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहें है या बेदखल करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 ता 13 खसरा नम्बर 845/1 रकबा 7.24 हैक्टेयर अवस्थित ग्राम गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना के सहखातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 377 से 382 किता 6 कुल रकबा 5.01 हैक्टेयर में प्रार्थीगण खातेदारी दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण का तर्क है कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से से अधिक का बेचान किया गया है। पक्षकारों के बीच अधिकारों की घोषणा तो दावे में ही हो सकेगा। प्रथमतः अस्थाई निषेधाज्ञा में वाद दायरी के दिन आराजी पर कब्जा काश्त देखना होता है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज है तथा रिकार्डेड खातेदार है, जो प्रार्थीगण भी स्वीकार करते है। विकय पत्र दिनांक 23.12.2011, 28.12.2011,28.02.2012 एवं 27.02.2012 की फोटो प्रति के अवलोकन से यह सिद्व होता है कि केतागण वाद दायरी से पूर्व से ही विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वर्तमान स्थिति में राजस्व रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। भूमि के खरीददार ने रिकार्डेड खातेदारों से भूमि खरीदी है जो बोनाफाइड पर्चेजर है। सद्भावी केता व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी करना न्यायोचित प्रतीत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नहीं होता है। एक खातेदार अपनी खातेदारी भूमि का उपभोग उपयोग स्वतंत्र रूप से करने का अधिकारी है। दावा दायरी से पूर्व खातेदारान द्वारा भूमि का विक्रय कर क्रेता को कब्जा संभलाया है। प्रार्थीगण यह बताने में पूर्ण रूप से असफल रहें कि अप्रार्थीगण किस प्रकार से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहें है या बेदखल करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर